

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

परीक्षीय अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.  
सहायक वाद संख्या :- 189/2023

1. भाग सिंह पुत्र जोतसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र जोतसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. ज्योतिसिंह उर्फ जोतसिंह पुत्र लखासिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णा पत्नी बलवीर सिंह पुत्री ज्योतिसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. प्रीतम कौर पत्नी जोगिन्द्र सिंह पुत्री ज्योतिसिंह जाति बावरी निवासी सन्तनगर, श्री जीवननगर तहसील रानियां जिला सिरसा।
4. नामदेवी पत्नी गुरदेव सिंह पुत्री ज्योतिसिंह जाति बावरी निवासी सादेवाला तहसील रानियां जिला सिरसा।
5. मलकीत कौर पत्नी सोहन सिंह पुत्री ज्योतिसिंह जाति बावरी निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. भजन कौर पत्नी महिन्द्र सिंह पुत्री ज्योतिसिंह जाति बावरी निवासी सैदेके गुरुद्वारा झण्ड साहब, फरीदकोट, जिला फरीदकोट (पंजाब)।
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

— प्रतिवादीगण



दावा अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :- 07.02.2024

वादी की ओर से श्री सुखवीर सिंह अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री बग्गा सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.2.2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क.) वादी संख्या 1 भागसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 5 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 55/59 पत्थर नम्बर 208/206(41) किला नम्बर 8/2/0.126, 13, 14, 15, 17/1.012 हैक्टर, पत्थर नम्बर 209/206(40) किला नम्बर 11/0.127 हैक्टर, कुल तादादी 1.265 हैक्टर।

(ख.) वादी संख्या 2 लक्ष्मण सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 एम.के.एस.ए. जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 46/55 में पत्थर नम्बर 212/216(24) किला नम्बर 6, 7, 8, 10, 11, कुल तादादी 1.265 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 1 एम.के.एस.-ए. खाता संख्या



46/55 तथा चक नम्बर 5 एस.बी.एन. खाता संख्या 55/59 में से प्रतिवादी संख्या 1, ज्योतिसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



(स्वाति गुप्ता)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पदेन महाप्रिन्सिपल  
टि.टिब्बी

### वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
रुपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		--
योग	--	योग	--